

Seventeenth Loksabha

>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

**माननीय अध्यक्ष:** अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे ।

**THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN):** Sir, I beg to lay on the Table a copy (Hindi and English versions) of the Economic Survey 2018-19 (Volume 1 and Volume 2).

[Placed in Library, See No. LT 104/17/19]

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH):** Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

- (1) The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) (Sixth Amendment) Regulations, 2019 published in Notification No. L-1/44/2010/-CERC in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> April, 2019.
- (2) Notification No. L-1/(3)/2009/-CERC published in Gazette of India dated 27<sup>th</sup> February, 2019, containing corrigendum to the Notification No. L-1/(3)/2009-CERC dated 9<sup>th</sup> January, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 105/17/19]

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI):** Sir I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (i) Memorandum of Understanding between the Airports Authority of India and the Ministry of Civil Aviation for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 106/17/19]

- (ii) Memorandum of Understanding between the Chandigarh International Airport Limited and the Airports Authority of India for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 107/17/19]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957:-

- (i) S.O.1243(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> March, 2019, regarding Constitution of Special Task Force.
- (ii) S.O.1244(E) published in Gazette of India dated 8<sup>th</sup> March, 2019, regarding setting up of Fuel Stations on Privately owned Lands in National Capital Territory of Delhi.

[Placed in Library, See No. LT 108/17/19]

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA):** Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963:-

- (1) G.S.R.234(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> March, 2019, approving the New Mangalore Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.
- (2) G.S.R.235(E) published in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> March, 2019, approving the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.
- (3) G.S.R.408(E) published in Gazette of India dated 4<sup>th</sup> June, 2019, approving the Kolkata Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.
- (4) G.S.R.417(E) published in Gazette of India dated 12<sup>th</sup> June, 2019, approving the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 109/17/19]

**माननीय अध्यक्ष :** जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) – उपस्थित नहीं ।

**SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR):** Sir, where is the Minister? ...  
(Interruptions)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री रतन लाल कटारिया ।

...(व्यवधान)

**जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया):** महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
  - (एक) केरला लैंड डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
  - (दो) केरला लैंड डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 114/17/19]

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी रख रहे हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आईटम नंबर – 6 - श्री अर्जुन राम मेघवाल

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, संसदीय कार्य मंत्री रख सकते हैं। Please take your seat.

...(व्यवधान)

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से श्री वी. के. सिंह जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अंतर्गत नेशनल हाइवेज (मैनर ऑफ डिपोजिटिंग द अमाउंट बाई द सेंट्रल गर्वनमेंट; मेकिंग रिक्विजिट फंड्स एवलेबल टू द कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड) रूल्स, 2019 जो 18 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 39(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 110/17/19]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3छ की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 510(अ) जो 30 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सेवानिवृत्त सचिव, उत्तराखण्ड सरकार की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(दो) का.आ. 862(अ) जो 14 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 510(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 111/17/19]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 374(अ) जो 23 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राजमार्ग प्रशासन को शक्तियां प्रदान करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 112/17/19]

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) का.आ. 507 (अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 27 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 30) (इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (दो) का.आ.801 (अ) जो 12 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 479(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का.आ. 867 (अ) जो 14 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 (भीलवाड़ा-लड़पुरा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (चार) का.आ. 868 (अ) जो 14 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 128 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 232) और 330 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 232) (टांडा-रायबरेली खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 869 (अ) जो 14 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 222 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 61) (अनेघाट से अहमदनगर बाईपास के प्रारंभ तक खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (छह) का.आ. 980 (अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 565 (दावुलापल्ली से

मरकापुरम खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सात)

का.आ. 981 (अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (चेन्नई-टाडा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(आठ)

का.आ. 982 (अ) जो 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 (नागौर बाईपास की समाप्ति - नेत्रागांव - मंडोर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(नौ)

का.आ. 1114(अ) जो 1 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2681(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस)

का.आ. 1132(अ) जो 5 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 211 (ये देशी-औरंगाबाद खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(ग्यारह)

का.आ. 1141(अ) जो 7 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9) (मुरादाबाद खंड जिसमें हापुड़ बाईपास खंड शामिल है) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(बारह)

का.आ. 1611(अ) जो 18 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं.

29ई) (सोनोली-गोरखपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(तेरह)

का.आ. 1612(अ) जो 18 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 222 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं.61) (मलशेज घाट से अनेघाट खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौदह)

का.आ. 1613(अ) जो 18 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1ए (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं.44) (श्रीनगर से बनिहाल खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(पंद्रह)

का.आ. 1667(अ) जो 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं.9) (विजयवाड़ा से मछलीपट्टनम खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सोलह)

का.आ. 1697(अ) जो 6 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24बी (रायबरेली-इलाहाबाद खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सत्रह)

का.आ. 1725(अ) जो 13 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 78 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं.30) (शहडोल से अनूपपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूली जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(अट्ठारह)

का.आ. 1890(अ) जो 31 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जिसके द्वारा 19 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1217(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 113/17/19]

-

**12.04 hrs**

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA**